[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं0 37/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून 2017

सा.का.नि. ..... (अ)--केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में आने वाले और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विवरण के मालों को, जब उनका भारत में आयात किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के संपूर्ण शुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से, उन शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हैं, जिन्हें उक्त सारणी के के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिनिर्दिष्ट किया गया है, छूट प्रदान करती है ।

सारणी

क्रम सं.	**माल का विवरण**	**शर्तें**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	पदक और अलंकरण (जिनके अंतर्गत पदक रिबन भी हैं)	यदि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा सीधे आयात किया जाता है ।
2.	भारतीय नौ सेना, थल सेना या वायु सेना या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के भारत से बाहर ड्यूटी पर कार्मिकों की व्यैक्तिक वस्तुओं	यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या वह घायल हो जाता है या वह लापता है या उसे युद्धबंदी बना लिया जाता है, तो उसके उत्तराधिकारी को परिदान के लिए आयात किया जाता है ।
3.	विदेश से संदानकर्ताओं से सद्भावपूर्वक दान, जब उनका आयात किसी संस्था द्वारा युद्ध	यदि,-- (क) रक्षा मंत्रालय से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त माल, युद्ध कब्रिस्तानों के अनुरक्षण के एकमात्र प्रयोजन के लिए आशयित है ; ओर

	कब्रिस्तानों के अनुरक्षण के लिए किया जाता है	(ख) प्रत्येक मामले में आयातकारी संस्था का अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि ऐसे माल, केवल पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आशयित है और उनका विक्रय या निपटान नहीं किया जाएगा ।
4.	आयातित भंडार का क्रय किसी भांडागार में रखे आबद्ध स्टाक में से किया जाता है	यदि,-- (क) आयातित भंडार सरकार द्वारा तटरक्षक संगठन के पोत के कर्मी दल द्वारा उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार उपयोग के लिए आशयित है ; (ख) विहित रूप में एक शिपिंग बिल प्रस्तुत किया गया है और आयातित भंडार के संबंध में निर्यात शुल्क, शास्तियां, भाटक, ब्याज और अन्य संदेय प्रभारों को संदत्त किया गया है ; (ग) तटरक्षण संगठन के पोत पर आयातित भंडार को ले जाने के लिए अनापत्ति आदेश समुचित अधिकारी द्वारा किया गया है ; ओर (घ) सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है ।
5.	भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन किसी प्राधिकारी के समक्ष ट्रायल, प्रदर्शन या प्रशिक्षण के लिए आयातित माल	यदि,-- (क) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव से सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को प्रत्येक मामले में प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आयातित माल ट्रायल, प्रदर्शन या प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए है ; और (ख) प्रत्येक मामले में आयातकर्ता ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का (सिवाय उनके, जिनको उक्त अवर सचिव द्वारा ट्रायल, प्रदर्शन या प्रशिक्षण की प्रक्रिया में उपभोग किए जाने को प्रमाणित किया जाता है) संदाय करने का वचनबंध देता है, जिनका उसके द्वारा आयात करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि जो उक्त सहायक आयुक्त अनुज्ञात करे, पुन: निर्यात नहीं किया जाता है ।
6.	सभी माल	यदि,-- (क) उक्त माल का राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनटीआरओ कहा गया है) द्वारा आयात किया जाता है ; (ख) उक्त मालों की निकासी से पूर्व एनटीआरओ का भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का अधिकारी प्रमाणित करता है कि उक्त माल एनटीआरओ द्वारा सामरिक प्रणालियों के लिए

		अपेक्षित है । **स्पष्टीकरण–**पूर्वोक्त (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, इस छूट में अंतर्विष्ट किसी बात का 1 जनवरी, 2019 को या उसके पश्चात् प्रभाव नहीं होगा ।
7.	सभी माल	यदि,-- (क) उक्त मालों का आयात राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनटीआरओ कहा गया है) के ठेकेदार के भारतीय अपतट भागीदार (जिसे इसमें इसके पश्चात् आईओपी कहा गया है) द्वारा किया जाता है ; (ख) उक्त मालों की निकासी से पूर्व आयातकर्ता एनटीआरओ का भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के अधिकारी से शुल्क छूट का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें,-- (i) ठेकेदार को एनटीआरओ द्वारा दिए गए क्रय आदेश के ब्यौरों को उपदर्शित किया गया हो ; (ii) अंतिम उत्पाद के विवरण के साथ आईओपी को उक्त ठेकेदार द्वारा दिए गए क्रय आदेश के ब्यौरे और उक्त अंतिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए आयात किए जाने के लिए अपेक्षित मालों का विवरण और मात्रा उपदर्शित की गई हो ; और (iii) यह प्रमाणन हो कि उक्त माल उक्त ठेकेदार से एनटीआरओ द्वारा अर्जित राडारों में उपयोग के लिए आशयित हैं । **स्पष्टीकरण–**पूर्वोक्त (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, इस छूट में अंतर्विष्ट किसी बात का 1 जनवरी, 2019 को या उसके पश्चात् प्रभाव नहीं होगा ।

2. इसमें ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क, एकीकृत कर से छूट, निम्नलिखित मालों को लागू नहीं होगी, अर्थात् :--

(i) हस्तधारित मेटल डिटैक्टर ; (ii) पोस्टल बॉम्ब डिटैक्टर ; (iii) विस्फोटक आधान ; (iv) सुबाह्य या स्थिर डोर फ्रेम मेटल डिटैक्टर ; (v) डीप सर्च मेटल या माइन डिटैक्टर ; (vi) माइन इंपैक्टर ; (vii) माइन प्रोडर (गैर धात्विक) ; और (viii) यान के नीचे खोजी दर्पण ।

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि विष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार